निर्वाचनों का संचालन नियम,1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्ररूप 2 ख
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन–पत्र
उत्तराखण्ड (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरें को सामने से उपदर्शित करते हुए श्वेत/श्वेताभ पृष्ठभूमि में (2CM X 2.50 CM) स्टांप आकार नवीनतम फोटो चस्पा करें।

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता .....उसका नाम .....विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .....में क्रं.सं. .....पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .....है जो .....विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .....में क्रम संख्या .....पर प्रविष्टि है ।

तारीख.....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए..... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नाम निर्देशन करते है ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम.....विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या..... पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते है कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक है और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है,दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते है ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं0			
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

कृपया ध्यान दें:– प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन–क्षेत्र के 10 निर्वाचक होना चाहिए ।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने .....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे (ग)(i) या (ग)(ii), जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में .....दल द्वारा खड़ा किया गया है,जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल हैं और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए ।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में .....दल द्वारा खड़ा किया गया है,जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हैं/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i).....(ii)..... .....(iii)..... हैं ।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया हैं ।

(ड) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य के विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं .....**जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो .....राज्य के उस राज्य के.....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित..... **जाति/जनजाति है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे .....राज्य की विधान सभा के लिए साथ–साथ कराए जा रहें वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप–निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हो।

कृपया ध्यान दें :– ''मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल'' निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग 3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ,1951 (1951 का 43) की धारा 8 की–

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लघंन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; हां/नही

या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है ।

यदि उत्तर "हॉ" में है,तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्व अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था .....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था .....

(vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्षित करें].....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख(तारीखों).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्व कोई अपील(अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गए थें: हॉ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तिथि एवं विशिष्टियां.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील(अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित है .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन(आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं.....

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....

(ख) पारित आदेश(आदेशों की प्रकृति).....

(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ? (हाँ/नहीं)

–यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे.....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?.....(हाँ/नहीं)

–यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है .....(हाँ/नहीं)

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?.....(हाँ/नहीं)

–यदि हाँ, ब्यौरे दीजिए .....

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है? (हाँ/नहीं)

–यदि हाँ, निरर्हित किए जाने की अवधि .....

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पदधारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है ?.....(हाँ/नहीं)

–यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख .....

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाये) रखता है, जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ?.....(हाँ/नहीं)

– यदि हाँ, तो कौन–सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ऑ) के ब्यौरे.....

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबन्धक या सचिव है, जिसकी पूजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नही रखती है ? ..... (हाँ/नहीं)

– यदि हाँ, कौन सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे ——————————————————————

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.....(हाँ/नहीं)

– यदि हाँ, निरर्हन की तारीख——————————————————————————

स्थानः **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

तारीखः

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम संख्या .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में .....(तारीख) को .....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

.....

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ,1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

.....

.....

.....

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

.....छिद्रण.....

भाग 6

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन–पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम सं..... का जो.....

विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नाम निर्देशन–पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

सभी नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को .....(बजे).....(स्थान) में की जायेगी ।

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

* जो लागू नहीं उसे काट दे

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क))

(राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप)

"मैं, अमुक.....जो विधान सभा (या विधान परिषद्) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्वा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती.....द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 2022 के .....माह के ..... दिवस को..... (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

शपथ की प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र
(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाना)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(नाम), जो कि विधान सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, ने.....तारीख को .....बजे.....(समय) मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथापेक्षित शपथ ली है/प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए है

तारीख.....

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

जो लागू न हो उसे काट दे, ध्यान दे : इस प्ररूप को अभ्यर्थी को अंग्रेजी में राज्य की राजभाषा, दोनो में प्रदान किया जाना चाहिये।